न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**

राजस्व अपील संख्या : 2021/142

–: अपीलान्ट :–	बनाम	–: रेस्पोडेन्टस :–
1. सुखाराम उर्फ हरीराम पुत्र पुनाराम जाति जाट निवासी रजलानी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. सीतादेवी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी रजलानी 2. ग्राम पंचायत रजलानी 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री परसराम चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः–13/12/2021**

वकील अपीलान्ट ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4246 दिनांक 09.01.2021 को निरस्त करने बाबत् पेश किया जिसमें बताया कि ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1240 खसरा नं. 107 रकबा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि अपीलान्ट के नाम की खातेदारी हक हकूक की कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट के पति फौत होने के कारण पटवारी हल्का रजलानी ने नामा0 संख्या 4246 दिनांक 09.01.2021 को ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा बिना दस्तावेज की जानकारी लिये अपीलान्ट के खसरा नं. 107 में सीतादेवी पत्नी सुखराम जाति जाट (गोदारा) निवासी रजलानी के पति का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 4246 दिनांक 09.01.2021 दर्ज कर दी गई है जो कि गलत है। ग्राम रजलानी की सरहद में स्थित खसरा नं. 107 की भूमि अपीलान्ट के नाम की खातेदारी हक हकूक की कब्जा सुदा भूमि है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई रिश्ता नही है तथा हल्का पटवारी रजलानी व ग्राम पंचायत द्वारा बिना जानकारी लिये नामा0 स्वीकृत कर दिया गया है जो कि गलत है। हल्का पटवारी रजलानी नामा0 संख्या 4246 भरते समय व जमाबंदी में इन्द्राज करते समय अपीलान्ट के खसरा नं. 107 में सुखराम जाट (गोदारा) का फौतेदगी नामा0 भूलवंश से स्वीकृत कर दिया जो कि गलत है। पटवारी रजलानी द्वारा अपीलाधीन नामा0 का इन्द्राज करते समय बिना अवलोकन किये एवं कब्जा काश्त देखे बिना नामा0 भरते समय विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी जो निरस्त किये जाने योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 4246 पारित करते समय रेकर्ड का अवलोकन किये बिना एवं कब्जा काश्त देखे बिना नामा0 भरते समय विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा हल्का पटवारी रजलानी द्वारा नामा0 संख्या 4246 के कॉलम संख्या 07 से 12 में दर्ज अंकन पर विश्वास कर आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपीलाधीन म्यूटेशन बिना माईन्ड अपलाई किया होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद मानकर स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामा0 संख्या 4246 ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा पारित किया गया है, उक्त नामा0 संख्या 4246 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार [illegible] के अंतर्गत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रजलानी में पेश हुई। अपीलान्ट एवं [illegible] संख्या 01 से 03 तथा पटवारी रजलानी एवं भू.अ.नि. रजलानी ने प्रार्थनापत्र [illegible] रजलानी के स्वीकृत नामा0 संख्या 4246 दिनांक 20.01.2021 को स्वीकृत हुआ जिसमें [illegible] संख्या 1238 के खसरा नं. 550 में खातेदार सुखराम फौत के स्थान पर सीतादेवी पत्नि सुखराम खातेदार वारिश का नाम दर्ज हुआ जो सही है। इसी नामा0 संख्या 4246 स्वीकृत दिनांक 20.01.2021 में खाता सं. 1240 खसरा नं. 107 जो खातेदार सुखराम पुत्र पूनाराम जाति जाट (रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक) के नाम था, के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

भी सीतादेवी पत्नि सुखराम नया नाम आया। इस संबंध में निवेदन है कि खाता संख्या 1240 का खातेदार सुखराम पुत्र पुनाराम खाता संख्या 1238 के सुखराम पुत्र पुनाराम दोनों अलग–अलग व्यक्ति है तथा खाता संख्या 1240 का खातेदार जीवित है। अतः नामा0 संख्या 4246 को दर्ज करने में समान नाम/जाति/निवास होने के कारण त्रुटि हुई। अतः नामा0 संख्या 4246 दिनांक 20.01.2021 को खारिज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 तथा पटवारी रजलानी एवं भू.अ.नि. रजलानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः अपीलान्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रजलानी द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 4246 दिनांक 09.01.2021 को अपास्त कर तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रजलानी के खाता संख्या 1238 खसरा संख्या 550 के खातेदार सुखराम पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी रजलानी का फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/12/21
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 13.12.2021 को मज में आम में सुनाया गया।

13/12/21
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:56:44 IST
Reason: SelfAttested